तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 02/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
17.8.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही से दिनांक 23.12.2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1343 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1103/Act/2020/78 दिनांक 07.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 29.7.2022 को आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की दिनांक 29.7.2022 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी के सामने निष्पादित नही की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के संस्थान पर निष्पादित की गई। नमूने को अलग अलग शीशीयों में लेकर सीलचेपा करने की कोई कार्यवाही प्रतिवादी के समक्ष नही की गई है। प्रतिवादी को आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी एवं न ही प्रतिवादी ने ऐसी जांच कराने से मना किया। आवेदक द्वारा प्रतिवादी के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नही की है, जिससे प्रतिवादी नमूने की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) सम्पूर्ण मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है तथा सभी मानकों एवं नियमों के प्रावधान अनुसार उसकी जांच आदि कर कम्पनी द्वारा बेचान किया जाता है। कम्पनी द्वारा [illegible] रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 02/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

(सोया एक्टिव ब्राण्ड) का निर्माण नही किया गया है एवं न ही मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का बेचान किया गया है। प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल से किसी प्रकार की कोई छेडछाड नही की है। प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) को पैकिंग अवस्था में मैसर्स एनपी इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 43ए, जीआईडीसी डीसा से क्रय किये थे जिसका बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को जानबूझकर इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है, जबकि खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का उत्पाद निर्माता फर्म द्वारा किया गया है ऐसी स्थिति में निर्माता फर्म इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म को पक्षकार नही बनाने के कारण यह न्याय निर्णयन आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 23.12.2020 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्ष अधिकारी द्वारा फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के 40 पेक्ड टीन कंटेनर (प्रत्येक टीन कंटेनर 15 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के एक टीन कंटेनर को खोलकर खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन [illegible] (सोया एक्टिव ब्राण्ड) में से 1600 ग्राम रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया [illegible]टिव ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे एवं खाली भि[illegible] में जांच हेतु खरीद[illegible] [illegible] रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) की [illegible] राशि रुपये 192/– (अक्षरे रुपये एक सौ बरानवे मात्र) प्रतिवादी चेतन अग्रवाल को अदा कर खरीद रसीद

....लगातार

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 02/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरियल क्रमांक S–1343, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी एवं गवाह को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द किया तथा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के मूल लेबल को एक नमूना शीशी के साथ लगाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1343 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 24.12.2020 को श्रीमती भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 23.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1103/Act/2020/78 दिनांक 07.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1343 मिथ्याछा[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह त[illegible] है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी[illegible] /318–21 दिनांक 25.1.202[illegible] अग्रवाल को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट [illegible] भिजवाकर जांच रिपोर्ट से

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:44 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 02/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल ने इस प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप(Misbranded) खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (सोया एक्टिव ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी चेतन कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.9.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:44 IST
Reason: SelfAttested